न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री रणछोड़ लाल (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन सं. 25/2026
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रामसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. कुम्पसिंह पुत्र आईदानसिह 3. किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. चनणसिह पुत्र आईदानसिंह 5. जेथकंवर पत्नी शंकरसिंह 6. जमना कंवर पत्नी भंवरसिह 7. धापूदेवी पत्नी मोटसिह 8. नरायणसिह पुत्र भंवरसिह 9. नीम्बसिंह पुत्र उतमसिंह 10. पदमा पुत्री मोटसिंह 11. भूरसिह 12. मंगलसिंह 13. राजूसिंह 14. राणसिंह पि. शंकरसिह 15. अनेकंवर पत्नी निम्बसिह 16. कंवरों पुत्री उतमा 17. विजयसिंह पुत्र शंकरसिंह जातियान राजपुरोहित निवासी सणाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. हाकमसिंह पुत्र भैरसिंह 2. जयसिंह पुत्र भैरसिंह जाति राजपुर निवासी दुधर्वा खुर्द 3. रतनलाल पुत्र वैदमल जाति सोनी निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री रामजीवन विश्नोई
विप्रार्थीगण – एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी ★ चौहटन ★

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.03.2026

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का कब्जाशुदा पुस्तैनी व पैतृक खातेदारी खेत मौजा डुंगरपुरा पटवार हल्का सणाऊ तहसील चौहटन वर्तमान खसरा संख्या 405/286 रकबा 2.7276 हैक्टेयर व खसरा संख्या 406/286 रकबा 5.4471 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर पशु बाड़ा, टांके, रहवासी घर एवं बाड आदि [illegible] हुए तथा कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के नाम उक्त खातेदारी खेत का वक्त सेटलमेंट खसरा नम्बर 286 था रेकर्ड को ऑनलाईन करते एवं बंटवाड़ा होने से खसरा नम्बर परिवर्तन हुए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उक्त खेत प्रार्थीगण को विरासत में मिला है तथा उक्त वर्णित खेत प्रार्थीगण का पुस्तैनी व पैतृक है जिसमें प्रार्थीगण का पिढ़ियों से कब्जा काश्त है व रहवासी अनेको घर बने हुए है। जिसमें निरन्तर निवास चला आ रहा है। प्रार्थीगण के जोत के सेढो–सेढ विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 तक का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 285 रकबा 3.4560 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम का मौजा डुंगरपुरा पटवार हल्का सणाऊ तहसील चौहटन में आया हुआ है।

प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 से 3 तक के खातेदारी खेत का वक्त सेन्टलमेन्ट से खसरा नम्बर 286 व 285 है आपसी पड़ौसी खसरे है। सेन्टलमेन्ट कर्मचारियों की भूल से प्रार्थीगण के नाम खातेदारी खेत की तरमीम लट्ठा ट्रैस से कम कर दी तथा उसकी जगह विप्रार्थी सं. 1 से 3 तक के पूर्व खातेदारों के नाम खातेदारी खेत खसरा नम्बर 285 की तरमीम अपने खाते से ज्यादा कर दी। कब्जा काश्त दोनो पक्षकारों का अपने अपने खाते में अंकित रकबे अनुसार ही है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही हुई। प्रार्थीगण के पुस्तैनी कब्जासुदा खेत में विप्रार्थीगण कब्जा करने व बेदखल करने की धमकिया देने लगे तो प्रार्थीगण ने अपने दोनो खेतो की हल्का पटवारी से जमाबन्दी नकल व तरमीम का नक्शा की नकल प्राप्त करने व तरमीम अंकित नक्शे से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 तक के नाम खातेदारी खेत की तरमीम का नाप करवाने पर ज्ञात हुआ की प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि की तरमीम राजस्व रेकर्ड में आने खातेदारी रकबे से कम कर दी तथा उसकी जगह विप्रार्थीगण के नाम खातेदारी खेत की तरमीम उनके रकबे से अधिक कर दी है। इस प्रकार गलत तरमीम होने से खारीज कर पुनः मौके एवं कब्जा काश्त, पुरानी तरमीम व खातेदारी रकबे जमाबंदी में वर्णित खाते अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु यह तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार चौहटन से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा नोटिस लेने से [illegible] आबाद मकान चस्पा रिपोर्ट प्राप्त बावजूद अनुपस्थित रहने [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन के पत्र कमांक भू.अ./2026/415 दिनांक 25.02.2026 प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तरमीम दुरस्ती मौका रिपोर्ट परिशिष्ठ 'ब' अनुसार किये जाने हेतु सहमति देते हुए मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तरमीम दुरूस्ती मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु प्रार्थीगण सहमत है। तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी रिपोर्ट में परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् अनुशंषा की गई है। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा डुंगरपुरा पटवार हल्का सणाऊ तहसील चौहटन वर्तमान खसरा संख्या 405/286 रकबा 2.7276 हैक्टेयर व खसरा संख्या 406/286 रकबा 5.4471 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:14 IST
Reason: SelfAttested